



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2015—फाल्गुन 7, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

अधि. क्र. 127 एफ 4-33-2014-अठारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर प्रशासन एवं विकास विभाग सेवा (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में, उपनियम (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(घ) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से.”;

(दो) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2क) उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या अनुसूची-एक में दर्शाए गए पदों की संख्या, अनुसूची-दो में दर्शाए गए पदों की प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.”.

(2) नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“8(क) सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए पात्रता.—ऐसे सहायक ग्रेड-दो, जो स्नातक हैं तथा नियमित सेवा के पांच वर्ष पूर्ण कर चुके हैं सीमित विभागीय परीक्षा के लिए विचारण के पात्र होंगे.”.

(3) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 4 तथा 5 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वेतनमान (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
“4	सहायक अधीक्षक	7	9300-34800+3200 ग्रेड वेतन	
4 अ	लेखापाल (एस.ए.एस.)	1	9300-34800+3200 ग्रेड वेतन (भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति/ भर्ती के लिए वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन होगा).	
5	सहायक ग्रेड-एक	40	5200-20200+2800 ग्रेड वेतन	—.”.

(4) अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 4 तथा 5 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(क)] देखिए]	सेवा की कुल संख्या की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(ख)] देखिए]	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण के माध्यम से [नियम 6(ग)]देखिए]	अभ्युक्तियां (6)
“4	सहायक अधीक्षक	—	100 प्रतिशत	—	—
4 अ	लेखापाल (एस.ए.एस.)	—	100 प्रतिशत	—	—
5	सहायक ग्रेड-एक	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	—	.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. एफ. 4-33-2014-अठारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 127 एफ 4-33-2014-अठारह-1, दिनांक 26 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 26th February 2015

Not. No. 127-F 4-33-2014-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya

Pradesh Urban Administration and Development Department Services (Non Gazetted) Recruitment Rules, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the Said rules,—

- (1) In rule 6, in sub-rule (1),—
 - (i) after clause (c), the following clause shall be added, namely :—
“(d) through limited departmental examination.”;
 - (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
“(2a) the number of posts to be filled by way of limited departmental examination under clause (d) of sub-rule (1), shall at any time not exceed the percentage of posts shown in Schedule II, the number of posts shown Schedule I.”.
- (2) After rule 8, the following rule shall be inserted, namely :—
“8 (a) Eligibility for recruitment through limited departmental examination.—The Assistant Grade-II, who are graduate and have completed five years of regular service shall be considered eligible for the limited departmental examination.”.
- (3) In Schedule-I, for serial numbers 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Posts included in the Service (1)	No. of Posts (2)	Pay Scale (3)	Appointing Authority (4)	Appointing Authority (5)
“4	Assistant Superintendent	7	9300-34800+3200 GP		
4A	Accountant (S.A.S.)	1	9300-34800+3200 GP (for the prospective promotion/ recruitments, the pay scale shall be 5200-20200+2400 GP).		
5	Assistant Grade-I	40	5200-20200+2800 GP		—.”.

- (4) In Schedule-II, for serial numbers 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Posts included in the Service (1)	Percentage of posts to be filled in			Remarks (6)
		Through direct recruitment [see Rule 6(a)] (2)	Through promotion of total strength of service [see Rule 6(b)] (3)	By way of transfers from other services [see Rule 6(c)] (4)	
“4	Assistant Superintendent	—	100%	—	—
4A	Accountant (S.A.S.)	—	100%	—	—
5	Assistant Grade-I	25%	75%	—	.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.